

## प्रेसनोट दिनांक 06.05.2021

1. दिनांक 05.05.21 को वादी उ0नि0 श्री अदील अहमद थाना को0नगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि सूर्यभान पुत्र हरी सिंह नि0 चॉदपुर हरवंश डाभासेमर थाना पूराकलन्दर अयोध्या अभियुक्त द्वारा लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए दुकान खोलकर बिना मास्क लगाये सामान बेचना, जिससे महामारी फैलने की संभावना होना। जिसके संबंध में थाना को0नगर में मु0अ0सं0 284/21 धारा 188, 269 भादवि व 3 महामारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 05.05.21 को वादी उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र मिश्रा थाना को0अयोध्या अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि राम धनी झों उर्फ अविनाश पुत्र विनोद कुमार झों नि0 बासुदेव घाट थाना को0अयोध्या अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 1100 ग्राम गांजा नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0अयोध्या में मु0अ0सं0 228/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 05.05.21 को वादी श्री हरि नरायण मिश्र पुत्र स्व0 हौसिला प्रसाद मिश्र नि0 पूरे नेपाल मिश्र मजरे कलाफरपुर थाना रौनाही अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन संख्या जेएच 10 एए 1752 स्विपट कार का चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेज गति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर आल्टो कार में टक्कर मार देना जिससे अमित कुमार तिवारी को गम्भीर चोटें आना व कार क्षतिग्रस्त हो जाना। जिसके संबंध में थाना रौनाही में मु0अ0सं0 197/21 धारा 279, 337, 338, 427 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 05.05.21 को वादी श्री सरफराज खों उर्फ अच्छे बाबू पुत्र हबीबुल्ला नि0 रौनाही थाना रौनाही अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन संख्या यूपी 42 एएल 5617 मोटर साइकिल का चालक अकबर अली पुत्र खबरदार नि0 चिर्रा मोहम्मदपुर थाना रौनाही अयोध्या वाहन चालक द्वारा तेज गति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी के पुत्र अरबाज खों की मोटर साइकिल में टक्कर मार देना, जिसकी चोटें आने के कारण इलाज के दौरान मृत्यु हो जाना। जिसके संबंध में थाना रौनाही में मु0अ0सं0 198/21 धारा 279, 304 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 05.05.21 को वादी श्री विक्रम सिंह उर्फ गोल्डी पुत्र अयोध्या सिंह नि0 बसहा थाना रौनाही अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि श्रवण सिंह पुत्र बजरंग सिंह नि0 अज्ञात आदि 04 नफर अभि0गण द्वारा वादी व उसके भाई आकाश को मारना पीटना, गाली व जान माल की धमकी देना। जिसके संबंध में थाना रौनाही में मु0अ0सं0 200/21 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
6. दिनांक 05.05.21 को वादी श्री राम सजीवन पुत्र सालिक राम नि0 जजवारा थाना हैदरगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि राहुल पुत्र हरीलाल नि0 जजवारा थाना हैदरगंज अयोध्या आदि 04 नफर पुरानी रंजिश को लेकर अभि0गण द्वारा वादी के चचेरे भाई व चाचा को घर में घुसकर मारना पीटना, गाली व जान माल की धमकी देना। जिसके संबंध में थाना हैदरगंज में मु0अ0सं0 102/21 धारा 323, 504, 452, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
7. दिनांक 05.05.21 को वादी श्री भरतलाल पाण्डेय पूर्ति निरीक्षक तहसील मिल्कीपुर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि संतोष कुमारी उचित दर विक्रेता ग्राम जमुआ थाना इनायतनगर अयोध्या अभियुक्ता द्वारा कार्ड धारको का अंगूठा लगवाने के बावजूद भी राशन वितरित न करना। जिसके संबंध में थाना इनायतनगर में मु0अ0सं0 203/21 धारा 3/7 ईसी एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
8. दिनांक 05.05.21 को वादी श्री संजय कुमार पुत्र त्रिलोकी नि0 कन्धई कला थाना खण्डासा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि फूलचन्द्र पुत्र बाबूराम यादव नि0 कन्धई कला थाना खण्डासा अयोध्या आदि 04 नफर खेत में बकरी चराने की बात को लेकर अभि0गण द्वारा वादी व वादी के भाई बिपिन कुमार को मारना पीटना, गाली व जान माल की धमकी देना। जिसके संबंध में थाना खण्डासा में मु0अ0सं0 88/21 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
9. दिनांक 05.05.21 को वादी उ0नि0 श्री संजय कुमार यादव थाना को0रुदौली अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि रंग बहादुर पुत्र स्व0 श्याम लाल नि0 कोलवा थाना को0रुदौली अयोध्या आदि 18 नफर व 100 अज्ञात व्यक्ति प्रधान पद पर जीत का जश्न मनाते हुए अभि0गण द्वारा लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए प्रधान के घर पर एकत्र होकर तेज आवाज में डीजे बजाकर नाचना व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करना जिससे महामारी

फैलने की सम्भावना होना। जिसके संबंध में थाना कोरूदौली में मु0अ0सं0 206/21 धारा 188, 269, 270 भादवि व 3 महामारी अधि0 व 51 आपदा प्रबंधन अधि0 व 6 ध्वनि प्रदूषण (नियमन व नियंत्रण) नियम का अभियोग पंजीकृत किया गया।